माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और जस्वंत सिंह के समक्ष

पंजाब नैशनल बैंक — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य— उत्तरदाता

C.W.P. 2009 की संख्या 4281

15 अक्टूबर, 2009

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226—हरियाणा सामान्य विक्रियकर अधिनियम, 1973—वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002-धारा 13(2)—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003-धारा 26—पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 -धारा 5—ऋण राशि को सुरक्षित करने के लिए बैंक ने संपत्ति को गिरवी रखवाया है—प्रतिवादी 3 ऋण राशि का भुगतान करने में असफल है—बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा लेने के लिए 2002 अधिनियम की धारा 12(2) के तहत कार्यवाही शुरू कर रहा है—आबकारी और कराधान विभाग ने विक्रियकर बकाया की वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की और बिक्री के आदेश पारित किये - मूल्यांकन का आदेश पारित होने के बावजूद कोई वसूली नहीं हो सकी - जब बैंक प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 के तहत उपलब्ध विकल्प के साथ आगे बढ़ा, तो उत्पाद शुल्क विभाग ने कुर्की का वारंट जारी किया - 1887 अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया गया- वसूली करने के लिए बैंक के अधिकार तब पूर्ण और परिपूर्ण हो गए जब उत्तरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा बंधक संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं बनाया गया - एचजीएसटी अधिनियम में किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को बैंक द्वारा बनाए गए बंधक शुल्कों की वसूली के लिए प्राथमिकता के हकदार नहीं माना गया।

यह निर्धारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने हरियाणा सामान्य विक्रियकर अधिनियम (संक्षिप्त में एच.जी.एस.टी अधिनियम) के तहत विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में मूल्यांकन किया व मांग बनाई।जबकि अधिनियम के तहत मूल्यांकन/मांग की गई राशि का भुगतान न करने के कारण शुल्क बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मूल्यांकन का आदेश 10 जुलाई, 1990 को पारित होने के बावजूद कोई वसूली नहीं की जा सकी।जब याचिकाकर्ता-बैंक प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 के तहत उपलब्ध विकल्प के साथ आगे बढ़ा तब प्रतिवादी

संख्या 1 और 2 ने 24 जून 2004 को कुर्की वारंट जारी किया और कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी का आदेश आयुक्त द्वारा,20 मार्च, 2009 को ,पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 5 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए दिया गया ।वसूली करने का बैंक का अधिकार 23 मार्च, 2004 और 28 अक्टूबर, 2004 को पूर्ण व परिपूर्ण हो गया जब उत्तरदाता संख्या 1 और 2 द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि एचजीएसटी अधिनियम में किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में याचिकाकर्ता-बैंक द्वारा बनाए गए बंधक शुल्क पर अपने बकाया की वसूली के लिए उत्तरदाता संख्या 1 और 2 प्राथमिकता के हकदार हैं। । इस प्रकार एचजीएसटी अधिनियम में खामियां थीं।

(पैरा 18)

इसके अलावा यह माना गया कि वैल्यू ऐडेड टैक्स अधिनियम की धारा 61 के अवलोकन से पता चलता है कि केवल इसलिए कि एचजीएसटी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है इसका निरस्त अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत विधिवत किए गए किसी भी कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। निरसन का उस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी स्वामित्व, दायित्व को प्रभावित नहीं करना था और न ही किए गए किसी भी कार्य को प्रभावित करना था। वैट अधिनियम के प्रारंभ में देय सभी कर बकाया और अन्य राशि की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि वह वैट अधिनियम के तहत अर्जित हुई हो। इसमें कोई विवाद नहीं है कि एचजीएसटी अधिनियम में वैट अधिनियम की धारा 26 के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, वैट अधिनियम की धारा 26 को एचजीएसटी अधिनियम के भाग के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि धारा 61 का उद्देश्य केवल उन अधिकारों पर जोर देना है जो एचजीएसटी अधिनियम के तहत अर्जित हुए हैं। किसी संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है जैसा कि वैट अधिनियम की धारा 26 द्वारा बनाया गया है। इसलिए बिना किसी कल्पना के, यह माना जा सकता है कि एचजीएसटी अधिनियम के तहत कर की बकाया राशि प्रतिवादी नंबर 3 से संबंधित गिरवी संपत्ति पर शुल्क लगाकर वसूल की जा सकती है। इसलिए, हमारा विचार है कि राज्य द्वारा दिया गया तर्क पूरी तरह से अनुचित है और हमारे लिए उपयुक्त नहीं है।

(पैरा 22)

आर.एस. भाटिया, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

सुनील नेहरा, एएजी, हरियाणा, उत्तरदाता संख्या 1 व 2 के लिए

एम. एम.कुमार जे.

1. याचिकाकर्ता-बैंक ने हरियाणा सामान्य विक्रियकर अधिनियम के तहत बिक्री कर के बकाया की वसूली की मांग करते हुए (संक्षिप्तता के लिए, 'एचजीएसटी अधिनियम') या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 का हवाला देकर मेसर्स जीवन राईस और जनरल मिल व मेसर्स जीवन राइस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड, कैथल के संबंध में कलेक्टर-सह-उप-उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, कैथल द्वारा पारित 4 जून, 2008 के कुर्की आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रतिवादी नंबर 2 को कुर्की आदेश के अनुसार संपत्ति बेचने से रोकने के लिए एक और निर्देश भी मांगा गया है जिसके बारे में दावा किया गया है कि वह याचिकाकर्ता-बैंक के पास गिरवी है। याचिकाकर्ता-बैंक ने एक सुरक्षित ऋणदाता और प्रभार धारक होने का दावा किया है। फलस्वरूप,20 मार्च,2009 के गिरवी रखी सम्पत्ति की बिक्री के आदेश को निरस्त करने की राहत भी मांगी गयी है।याचिकाकर्ता ने अंतरिम उपाय के तौर पर 20 मार्च,2009 को तय नीलामी पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की थी।

2. जब यह मामला 19 मार्च, 2009 को प्रस्ताव सुनवाई के लिए आया, तो एक डिवीजन बेंच ने प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि नीलामी आयोजित की जा सकती है लेकिन इस संबंध में इस न्यायालय के विशिष्ट आदेश के बिना इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है।

3. उठाए गए विवाद के निपटारे के लिए सबसे पहले बुनियादी तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। याचिकाकर्ता-बैंक ने 330 करोड़ रु. का ऋण मेसर्स जीवन राइस एंड जनरल मिल्स, जिंद रोड,कैथल-प्रतिवादी संख्या 3 को स्वीकृत किया।ऋण की चुकौती सुनिश्चित करने के लिए, याचिकाकर्ता-बैंक के पास प्रतिवादी संख्या 3 की कैथल स्थित अचल संपत्ति को 20 जनवरी 1999 को गिरवी रख दिया गया था। संपत्ति का विवरण "खेवट नं. 49'/ किला नं. 25/6 51.-14X4. 15 4 * * 7K-HM. 16 6K 16 M किला नं. 26/10 5K 11M 11 <SK 0X4 20 7K 15X4 कुल भूमि 41 कनाल 15 मरला राज कुमार पार्टनर (1/2 शेयर) कैथल के नाम है।

4. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उपरोक्त ऋण का भुगतान नहीं किया गया और 12 अप्रैल,2004 को 3,12,65,884.95/- रुपये की वसूली के लिए एक आवेदन ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था। याचिकाकर्ता-बैंक ने अपने संपूर्ण बकाया की अंतिम वसूली तक अतिरिक्त ब्याज वसूलने के अपने अधिकार का भी दावा किया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता-बैंक ने 23 फरवरी, 2004 को एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002(संक्षिप्तता के लिए, 'प्रतिभूतीकरण अधिनियम,2002')की धारा 13(2) के तहत एक नोटिस जारी किया। । प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के माध्यम से मांगी गई राशि का भुगतान करने में प्रतिवादी नंबर 3 की विफलता पर याचिकाकर्ता-बैंक ने 28 अक्टूबर,2004 को धारा 13(4)(ए) के तहत संपत्ति का कब्ज़ा लेने का फैसला

किया। याचिकाकर्ता-बैंक के कहने पर इस आशय का एक नोटिस 29 अक्टूबर, 2004 को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

5. याचिकाकर्ता-बैंक ने जब कब्ज़ा ले लिया था तब उसे उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा भेजा गया एक पत्र मिला जिसमें याचिकाकर्ता-बैंक को सूचित किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 3 पर 1,16,47,318.00/- रुपये का बकाया है और उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य थी। प्रतिवादी नंबर 2 ने इस बात पर जोर दिया कि जब संपत्ति की नीलामी की जाए तो उपरोक्त बकाया राशि (अनुलग्नक I'-1) को नीलामी नोटिस में शामिल किया जाए । याचिकाकर्ता-बैंक ने 7 जुलाई,2008 को जवाब भेजा(अनुलग्नक पी-2)। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 2 ने गिरवी रखी गई संपत्ति की कुर्की का आदेश पारित किया जिसका संदर्भ पिछले पैराग्राफ में पहले ही दिया जा चुका है। तदनुसार, राजस्व रिकार्ड में इस आशय की प्रविष्टि भी की गई। याचिकाकर्ता-बैंक ने इसलिए 10 अक्टूबर,2008 को संपत्ति (अनुलग्नक पी-3) की बिक्री के लिए नोटिस जारी किया। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार नोटिस की एक प्रति प्रतिवादी संख्या 3 को भी दी गई थी और आवश्यकताओं के अनुसार दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। इसके मुताबिक 9 जून 2008 और 12 सितंबर, 2008 को नीलामी हुई ।अंततः 21 नवंबर,2008 को निविदाएं जारी की गईं।याचिकाकर्ता-बैंक ने दावा किया है कि कोई भी व्यक्ति इस तथ्य के कारण संपत्ति खरीदने के लिए आगे नहीं आया कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पारित कुर्की आदेश लागू थे, जो राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत परिलक्षित था। उत्पाद शुल्क एवं विक्रय कर विभाग के अधिकारियों ने किसी भी व्यक्ति को यह दावा करते हुए संपत्ति के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी कि उस संपत्ति पर उत्पाद शुल्क एवं विक्रय फैक्स विभाग का शुल्क है। याचिकाकर्ता-बैंक ने प्रतिवादी नंबर 2 को यह बताकर मनाने का प्रयास किया कि बैंक के पास विचाराधीन संपत्ति पर पहला और सर्वोपरि प्रभार है, जिसे 20 जनवरी,2009 को याचिकाकर्ता-बैंक के पास गिरवी रखा गया था और इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 का उपरोक्त संपत्ति पर कोई पूर्व शुल्क नहीं था। हालाँकि, सब व्यर्थ रहा।

6. 5 मार्च ,2009 को प्रतिवादी नंबर 2 ने हिंदी दैनिक पंजाब केसरी में एक विज्ञापन जारी किया, जो 20 मार्च,2009 उपरोक्त गिरवी संपत्ति (अनुलग्नक पी-4)की बिक्री के लिए विज्ञापन छपा। याचिकाकर्ता-बैंक ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता-बैंक जैसे सुरक्षित ऋणदाता के पास उसके पास गिरवी रखी गई संपत्ति पर पूर्व प्रभार है और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 अवैध रूप से संपत्ति पर प्रभार होने का दावा कर रहे थे।

7. संयुक्त लिखित बयान में उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 का रुख यह है कि बिक्री कर बकाया की वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की और बिक्री का आदेश पारित करना पूरी तरह से कानून के अनुसार था।मैसर्स जीवन राइस एंड जनरल मिल्स, कैथल और मैसर्स जीवन राइस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड, कैथल के संबंध में तैयार किए गए

मूल्यांकन आदेश का एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है। तदनुसार, दोनों फर्मों के संबंध में 1,16,471,318.00 रुपये की मांग की गई थी। मांग पूरी नहीं होने पर, प्रतिवादियों ने दावा किया है कि वे संबंधित संपत्ति की बिक्री से इसे वसूलने के हकदार हैं क्योंकि ऐसी संपत्ति पर सरकारी बकाया स्वचालित रूप से वसूला जाता है। तदनुसार, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (हरियाणा पर लागू) के प्रावधानों के तहत वसूली कार्यवाही शुरू की गई। वसूली की कार्यवाही के दौरान, श्री राज कुमार मिगलानी (1/2 शेयर) की संपत्ति, जैसा कि राजस्व अधिकारी द्वारा सूचित किया गया था, जो फर्म मैसर्स जीवन राइस एंड जनरल मिल्स, कैथल में भागीदार है, कुर्क की गई थी। फर्म मैसर्स जीवन राइस इंटर्नैशनल (पी) लिमिटेड, कैथल में उनकी व्यापारिक हिस्सेदारी भी थी और कुर्की का वारंट 24 अप्रैल, 2004 को जारी किया गया था। हरियाणा के उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 के तहत उस अधिनियम की धारा 5 के तहत संलग्न संपत्ति की नीलामी और बिक्री की अनुमति प्राप्त करने के बाद 20 अगस्त, 2004 को एक पत्र जारी किया था और 26 अगस्त, 2004 को संपत्ति की बिक्री के लिए मंजूरी दी गई थी। समझौते पर,20 मार्च,2009 को एक खुली नीलामी आयोजित की गई थी जिसकी इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19 मार्च, 2009 के अनुसार पुष्टि नहीं की जा सकी।

8. उत्तरदाता नंबर 1 और 2 द्वारा आग्रह किया गया अन्य आधार यह है कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (संक्षेप में, 'वैट अधिनियम') की धारा 26 के तहत विशिष्ट प्रावधान है, जो यह निर्धारित करता है कि भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद उपरोक्त अधिनियम के तहत जो कर अवैतनिक रह जाता है, वह डिफॉल्टर की संपत्ति पर पहला शुल्क होगा।इसे चूककर्ता से ऐसे वसूल किया जा सकता था जैसे कि यह भू-राजस्व का बकाया हो। उस संबंध में वैट अधिनियम की धारा 61 पर भी निर्भरता रखी गई है, जो निरसन और बचत खंड है। उपरोक्त प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 61 को निरस्त करने और बचाने के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में एचजीएसटी अधिनियम के तहत बकाया राशि को प्रथम शुल्क के रूप में वसूल किया जा सकता है।

9. उत्तरदाताओं ने **देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभुदास पारेख एंड कंपनी(1)** [1]के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसका पालन इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने भारत संघ बनाम पंजाब वित्तीय निगम(2005 का सीडब्ल्यूपी न. 3413, 4 दिसंबर, 2006 को निर्णय लिया गया) के मामले में किया है।उपरोक्त आधार पर प्रतिवादी नंबर 2 ने दावा किया है कि बकाया विक्रियकर की वसूली के लिए प्रतिवादी नंबर 3 जैसे डिफॉल्टर की संपत्ति की कुर्की और बिक्री पूरी तरह से कानून के अनुसार उचित है और उनकी कार्रवाई को

(1)(2000) 5 एस.सी..सी. 694

बरकरार रखा जाना चाहिए। जानकारी के आभाव के कारण याचिकाकर्ता-बैंक से प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा ऋण की प्रगति और उसके गैर-भुगतान के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति से इनकार किया गया है।

10.अपने अलग लिखित बयान में, प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि उत्तर दाखिल करना संभव नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी नंबर 3 का पूरा रिकॉर्ड याचिकाकर्ता-बैंक ने प्रतिभूतिकरण अधिनियम के तहत संपत्ति का कब्जा लेते समय जब्त कर लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रतिवादी नंबर 3 हरियाणा राज्य के बाहर से धान और चावल खरीदने के बाद घोषणा पत्र 'एफ और अन्य दस्तावेजों के खिलाफ खेप बिक्री के रूप में इसका निपटान करता था। यह दावा किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा देय बिक्री कर का कोई बकाया नहीं है। हालांकि, यह माना जाता है कि प्रतिवादी ने पहले मूल्यांकन वर्ष 1988-89,1993-94, 1998-99, 1999-2000 और 2002-03 के संबंध में कुछ बकाया की वसूली के लिए नोटिस जारी किए थे।प्रतिवादी न. 3 की संपत्ति जो याचिकाकर्ता-बैंक के पास पहले से ही गिरवी थी, प्रतिवादी न. 2 द्वारा कुर्क कर ली गई थी। उत्पाद एवं बिक्री कर विभाग ने अपनी मांग 1.16 करोड़ रुपये से अधिक प्रतिवादी न. 3 को बिना किसी नोटिस या सुनवाई के एक पक्षीय कर दी। हालाँकि, ऋण की प्राप्ति पर विवाद नहीं किया गया है, लेकिन यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता-बैंक द्वारा उठाई गई मांग उच्च स्तर पर है। दावा किया गया है कि मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, चंडीगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। प्रतिवादी न. 3 ने आगे दावा किया कि वह पैरा-3 में कथित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

11. श्री आर.एस. भाटिया,याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि एचजीएसटी अधिनियम में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर संपत्ति के गिरवी ऋण पर राज्य के बकाए को प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। उनके अनुसार एचजीएसटी अधिनियम में ऐसे किसी भी प्रावधान के अभाव में, उत्तरदाता नंबर 1 और 2 याचिकाकर्ता-बैंक जैसे सुरक्षित लेनदार के आरोप से अधिक किसी भी आरोप का दावा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने देना बैंक मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा जताया है।

12. याचिकाकर्ता-बैंक के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा लिया गया रुख वैट अधिनियम की धारा 61 के साथ पढ़ी गई धारा 26 पर आधारित है जो बिल्कुल अस्थिर है क्योंकि, एचजीएसटी अधिनियम में कोई संबंधित प्रावधान नहीं था जो कि वैट अधिनियम की धारा 26 के बराबर पढ़ा जाएगा। इसलिए बचत खंड केवल उन अधिकारों को संरक्षित कर सकता है जो अर्जित हुए हैं लेकिन यह कोई नया अधिकार नहीं बना सकता है। इस संबंध में उन्होंने देना बैंक के मामले (सुप्रा) में फैसले के पैरा 20 से 23 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि वैट अधिनियम की धारा 61 को यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता-बैंक के पास गिरवी संपत्ति पर प्रथम प्रभार के सृजन के संबंध में कोई नया अधिकार बनाया गया है ।ऐसे किसी भी

प्रावधान के अभाव में गिरवी रखे गए ऋण से निकलने वाले बैंक के बकाए को प्राथमिकता मिलेगी क्योंकि याचिकाकर्ता-बैंक प्रतिभूतिकरण अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता है। उन्होंने देना बैंक के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 15 से 21 में की गई टिप्पणियों पर भी दृढ़ भरोसा जताया है।

13.हालाँकि, श्री सुनील नेहरा, एएजी हरियाणा ने तर्क दिया है कि वैट अधिनियम की धारा 61 के साथ पठित धारा 26 के उचित निर्माण पर प्रतिवादी संख्या 3 की संपत्ति पर शुल्क का प्रावधान समाप्त हो गया है और यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि प्रतिवादी संख्या 3 की संपत्ति पर बकाया के कारण राज्य पर कोई शुल्क लगाने का कोई प्रावधान नहीं था।देना बैंक के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर उन्होंने तर्क दिया है कि राज्य के बकाए को निजी ऋणों पर प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है।

14.पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और दलीलों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद, हमारा विचार है कि यह याचिका सफल होने की हकदार है। देना बैंक के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानू [2]के मामले में दिए गए फैसले में दोहराया गया है। यह माना गया है कि गिरवी रखने वाले व्यक्ति के अधिकार, जिसने माल की सुरक्षा पर गिरवी देने वाले के पक्ष में पैसा दे दिया है, समाप्त नहीं किया जा सकता है और यहां तक कि गिरवी रखने वाले के अन्य लेनदारों को बिना दावे के धन उपलब्ध कराकर माल की वैध जब्ती भी नहीं की जा सकती है जब तक गिरवी रखने वाले के अधिकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। देना बैंक के मामले (सुप्रा) के पैरा 10 में उनके आधिपत्य द्वारा की गई टिप्पणी को विस्तार से उद्धृत किया जा सकता है। जो इस प्रकार हैं:-

" हालाँकि, अन्य लेनदारों पर ऋण की वसूली का क्राउन का अधिमान्य अधिकार सामान्य या असुरक्षित लेनदारों तक ही सीमित है। इंग्लैंड का सामान्य कानून या समता और अच्छे विवेक के सिद्धांत (जैसा कि भारत पर लागू होता है) क्राउन को गिरवीदार या माल गिरवी रखने वाले या सुरक्षित लेनदार पर अपने ऋण की वसूली के लिए अधिमान्य अधिकार नहीं देता है। यह केवल ऐसे मामलों में होता है जहां क्राउन का अधिकार और विषय का अधिकार एक ही समय में मिलते हैं वहां क्राउन को सामान्य रूप से प्राथमिकता दी जाती है। जहां राजा के शुरू होने से पहले विषय का अधिकार पूर्ण और परिपूर्ण है, वहां नियम लागू नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं आता जब दोनों अधिकारों का टकराव हो और न ही यह सवाल हो सकता है कि दोनों में से किसे देना चाहिए क्योंकि विषय का अधिकार पहले ही प्रबल हो चुका है। गाइल्स बनाम ग्रोवर 1832 131 ईआर 563 में यह माना गया है कि माल के गिरविदार पर क्राउन की कोई प्राथमिकता नहीं है। बैंक ऑफ बिहार बनाम बिहार राज्य और अन्य (एआईआर 1971 एससी 1210) में इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है कि गिरवी रखने वाले के अधिकार, जिसने माल की सुरक्षा पर गिरवी देने वाले के पक्ष में पैसा दिया है, को गिरवी रखने वाले के दावे को पहले पूरी तरह से

---

(2)(1972) 3 एस.सी.सी. 196

संतुष्ट किए बिना गिरवी रखने वाले के अन्य लेनदार को धन उपलब्ध कराकर माल की वैध जब्ती द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। राशबिहारी घोष ने बंधक कानून (टी,आई,आई. सातवां संस्करण, पृष्ठ 386) में ऐसा कहा है। ऐसा लगता है कि भारत में सरकारी ऋण, सुरक्षित ऋण से पूर्व प्राथमिकता का हकदार नहीं है।

15.उपरोक्त दृष्टिकोण का औचित्य लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली, (3) [3]के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 17 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से समझ में आता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 172 से 176 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार देखा है:-

> "17. इंग्लैंड के सामान्य कानून और अनुबंध अधिनियम की धारा 172 से 176 में संहिताबद्ध प्रतिज्ञा के संबंध में कानून के बीच कोई अंतर नहीं है। धारा 172 के तहत गिरवी किसी ऋण के भुगतान या किसी वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में माल की जमानत है। धारा 173 गिरवी रखने वाले को ऋण के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में दिए गए सामान को अपने पास रखने का अधिकार देता है और धारा 175 के तहत वह गिरवी रखे गए सामान के संरक्षण के लिए गिरवी रखने वाले से किसी भी असाधारण खर्च को प्राप्त करने का हकदार है। धारा 176 गिरवी रखने वाले के अधिकारों से संबंधित है और प्रावधान करती है कि गिरवी रखने वाले द्वारा डिफ़ॉल्ट के मामले में गिरवी रखने वाले को (1) ऋण पर मुकदमा करने और माल को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में रखने का अधिकार है, और (2) गिरवी रखने वाले को इच्छित बिक्री की उचित सूचना देने के बाद में माल बेचने का अधिकार है । एक बार जब गिरवी रखने वाला व्यक्ति धारा 176 के तहत अपने अधिकार के आधार पर सामान बेचता है तो गिरवी रखने वाले का उन्हें छुड़ाने का अधिकार निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, गिरवी रखने वाला व्यक्ति बिक्री आय को ऋण की संतुष्टि के लिए लागू करने और अधिशेष, यदि कोई हो, गिरवी रखने वाले को भुगतान करने के लिए बाध्य है..."

16.उपरोक्त पैराग्राफ के साथ-साथ बैंक ऑफ बिहार (सुप्रा) और देना बैंक (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णयों सहित विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम सिरिगुप्पा शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, (4)[4] के हालिया फैसले के पैरा 17 में यह निष्कर्ष निकाला गया है जो निम्नानुसार है:-

---

(3)एआइआर 1967 एस.सी. 1322

(4) (2007) 8 एस.सी.सी 353

"17. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मामले को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि गिरवी चीनी पर अपीलकर्ता-बैंक के अधिकारों को गन्ना आयुक्त और श्रमिकों के दावों पर प्राथमिकता दी गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने गन्ना उत्पादकों और कर्मचारियों को भुगतान के लिए गन्ना आयुक्त और श्रम आयुक्त को आय का कुछ हिस्सा देने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने में गलती की थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पहले प्रतिवादी के ऋण को सुरक्षित करने के लिए अपीलकर्ता बैंक के पास चीनी गिरवी रखी गई थी और ऋण चुकाया नहीं गया था। माल को राजस्व वसूली प्राधिकारी के कहने पर गिरवी रखने वाले, अपीलकर्ता-बैंक की हिरासत से जबरन अपने कब्जे में ले लिया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माल वैध रूप से अपीलकर्ता बैंक के पास गिरवी रखा गया था, गिरवीदार के रूप में अपीलकर्ता-बैंक के अधिकार गन्ना आयुक्त के आदेशों या उनके द्वारा की गई मांगों या श्रमिकों की ओर से की गई मांगों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। परिसमापन के अभाव में गन्ना आयुक्त और कामगार दोनों केवल असुरक्षित ऋणदाता के रूप में खड़े हैं और उनके अधिकार माल के गिरवीदार के अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते हैं।"

17.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य(5) [5]के मामले में दिए गए एक हालिया फैसले में यह निर्धारित किया गया है कि वित्तीय संस्थान के बकाए के अधीन एक तरफ केंद्रीय कानून और दूसरी तरफ राज्य कानून के तहत वैधानिक प्रथम प्रभार की प्राथमिकताएं नहीं होंगी भले ही वैधानिक प्रथम प्रभार उनके पक्ष में नहीं बनाया गया हो। हालाँकि, उपरोक्त निर्णय के संबंध में कोई विस्तृत चर्चा आवश्यक नहीं होगी क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्यों में यह स्पष्ट है कि एचजीएसटी अधिनियम के तहत राज्य द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 की संपत्ति और परिसंपत्तियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। इसलिए, राज्य द्वारा बिक्री कर की वसूली के लिए शुल्क बनाने वाले किसी प्रावधान के अभाव में याचिकाकर्ता-बैंक द्वारा बनाए गए बंधक शुल्क को प्राथमिकता मिलेगी।

18.प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों जैसे 1988-89,1993-94, 1998-99। 1999-2000 और 2002-03 के संबंध में मूल्यांकन किया और माँग निर्मित की। एचजीएसटी अधिनियम के तहत मूल्यांकन/मांग की गई राशि का भुगतान न करने पर शुल्क बनाने का एचजीएसटी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोई वसूली नहीं की जा सकी, हालांकि मूल्यांकन का आदेश 10 जुलाई,1990 को पारित किया गया था। हालाँकि, जब याचिकाकर्ता-बैंक प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 के तहत उपलब्ध विकल्प के साथ आगे बढ़ा, तो प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने 24 जून,2004 को कुर्की का वारंट जारी किया और 20 मार्च, 2009 को पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887

(5) (2009) 4 एस.सी.सी 94

की धारा 5 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया गया था। वसूली को प्रभावित करने के लिए बैंक के अधिकार 23 मार्च , 2004 और 28 अक्टूबर, 2004 को पूर्ण और परिपूर्ण हो गये थे जब उत्तरदाता न. 1 और 2 द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि उत्तरदाता न. 1 और 2 अपने बकाया की वसूली के लिए एचजीएसटी अधिनियम में किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में याचिकाकर्ता-बैंक द्वारा बनाए गए बंधक शुल्क में प्राथमिकता के हकदार हैं। । इस प्रकार, एचजीएसटी अधिनियम में खामियां थीं।

19.वैट अधिनियम की धारा 61 के साथ पठित धारा 26 पर उत्तरदाताओं न. 1 और 2 की निर्भरता पूरी तरह से गलत है। वैट अधिनियम की धारा 26 को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

"इस अधिनियम के तहत देय कोई भी राशि, जिसमें दाखिल रिटर्न के अनुसार उसे देय कर भी शामिल है, जो भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद भुगतान नहीं किया जाता है, डिफॉल्टर की संपत्ति पर पहला शुल्क होगा और वह उससे उसी तरह वसूली योग्य होगी जैसे कि भू-राजस्व का बकाया"

20.उपरोक्त अनुभाग के अवलोकन से पता चलता है कि वैट अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि, जिसमें रिटर्न से पहले देय कर भी शामिल है, जो भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद भुगतान नहीं किया गया है, उसे डिफॉल्टर की संपत्ति पर पहला शुल्क माना जाएगा जो ऋण राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। वैट अधिनियम ने एचजीएसटी अधिनियम को निरस्त कर दिया है। कर का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 की देनदारी केवल एचजीएसटी अधिनियम के तहत उत्पन्न हुई है। वैट अधिनियम के तहत देय कर का कोई बकाया नहीं था।

21.वैट अधिनियम की धारा 61 पर हरियाणा राज्य की निर्भरता भी पूरी तरह से अनुचित है। उपरोक्त धारा इस प्रकार है:

"1. हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20), को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है: -

बशर्ते कि ऐसा निरसन -

A. इस प्रकार निरस्त किए गए अधिनियम के पिछले संचालन या किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं करेगा जो कि उसके तहत किया गया या भुगता गया हो; या

B. उक्त अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी भी अधिकार, शीर्षक, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है; या

C. किए गए किसी भी कार्य या की गई किसी भी कार्रवाई को प्रभावित करता है (किसी भी नियुक्ति, अधिसूचना सहित) उक्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग में नोटिस, आदेश, नियम, प्रपत्र, विनियमन, प्रमाण पत्र):

और उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया ऐसा कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई या की गई मानी जाएगी, मानो यह अधिनियम लागू हो। वह तारीख जिस दिन ऐसा अधिनियम किया गया था या कार्रवाई की गई थी: और इस अधिनियम के प्रारंभ में देय सभी बकाया राशि और अन्य राशि की वसूली की जा सकती है जैसे कि वह इस अधिनियम के तहत अर्जित हुई हो।

22.उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि केवल इसलिए कि एचजीएसटी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, इसका निरस्त अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत विधिवत किए गए या भुगते गए किसी भी काम को प्रभावित नहीं करना था। निरसन का उस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी स्वामित्व, दायित्व को प्रभावित नहीं करना था और न ही किए गए किसी भी कार्य को प्रभावित करना था। वैट अधिनियम के प्रारंभ में देय सभी कर बकाया और अन्य राशि की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि वह वैट अधिनियम के तहत अर्जित हुई हो। इसमें कोई विवाद नहीं है कि एचजीएसटी अधिनियम में वैट अधिनियम की धारा 26 के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, वैट अधिनियम की धारा 26 को एचजीएसटी अधिनियम के भाग के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि धारा 61 का उद्देश्य केवल उन अधिकारों पर जोर देना है जो एचजीएसटी अधिनियम के तहत अर्जित हुए हैं। किसी संपत्ति पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है जैसा कि वैट अधिनियम की धारा 26 द्वारा बनाया गया है। इसलिए, बिना किसी कल्पना के, यह माना जा सकता है कि एचजीएसटी अधिनियम के तहत कर की बकाया राशि प्रतिवादी नंबर 3 से संबंधित गिरवी संपत्ति पर शुल्क लगाकर वसूल की जा सकती है, इसलिए, हमारा विचार है कि राज्य द्वारा दिया गया तर्क पूरी तरह से अनुचित है और हमारे लिए उपयुक्त नहीं है।

23.उपरोक्त कारणों से यह याचिका सफल होती है और विचाराधीन गिरवी संपत्ति को कुर्क करने का 4 जून, 2008 का आदेश (अनुलग्नक पी-1) रद्द किया जाता है। बिक्री नोटिस और 20 मार्च 2009 को हुई नीलामी, यदि कोई हो, भी रद्द कर दी जाती है। प्रतिवादी न. 1 और 2 को प्रश्नगत गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने से मना किया जाता है। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।[6]

आर.एन.आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा